राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

संतोष विजय बनाम लक्ष्मी देवी

तारीख हुक्म	797/2025 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/03/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी एवं प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 18/03/2026 को पेश हो।	
18/03/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 15/06/2022 पारित करते हुये अप्रार्थीगण संख्या 1 ता. 6 को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी एवं प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी एवं प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश के विरुद्ध प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी एवं प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ पेश की है, जबकि विधि के प्रावधानों के अनुसार अपीलार्थी को सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार प्रकरण बनने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक था एवं धारा-96 जाप्ता दीवानी के साथ अन्तरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील कानूनन संधारणीय नही है। अत: अपीलार्थी को इजाजत अपील का अनुतोष प्रदान किया जाना विधिसम्मत जाहिर नही होता है। अत: अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी अस्वीकार कर ख़ारिज किया जाता है। फलस्वरूप अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18/03/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर